8768
06/10/2015

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, गोड्डा का पत्रांक–352N/डी0आर0डी0ए0, दिनांक 04.03.2011 एवं पत्रांक–560/स्था0, दिनांक 24.11.2011
2. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–2854, दिनांक 05.05.2011
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–3771, दिनांक 08.07.2011; पत्रांक–6738, दिनांक 28.05.2012; पत्रांक–12482, दिनांक 26.12.2013; अर्द्ध सरकारी पत्रांक–4086, दिनांक 07.05.2014 एवं संकल्प सं0–268, दिनांक–13.01.2015
4. आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका का पत्रांक–212/स्था0, दिनांक 31.03.2012
5. विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक–114, दिनांक–10.06.2015

सुश्री सागरी बराल, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला– बोकारो), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पथरगामा, गोड्डा के पद पर कार्यावधि में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2854, दिनांक 05.05.2011 के माध्यम से उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–352N/डी0आर0डी0ए0, दिनांक 04.03.2011 द्वारा आरोप प्रपत्र–'क' में प्राप्त है, जिसके लिए तत्कालीन उप मुख्य (ग्रामीण विकास) मंत्री द्वारा सुश्री बराल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा की गयी है। प्रपत्र–'क' में अंकित आरोप का विवरण निम्नवत् है–

"मनरेगा अन्तर्गत पथरगामा प्रखण्ड में ग्राम पंचायत लतौना में योजना संख्या–02/2010–11 गंगारामपुर ट्रांसफार्मर से गंगटी सीमा तक मिट्टी मोरम पथ में मजदूरों का फर्जी मस्टर रॉल के आधार पर तैयार पोस्ट ऑफिस एडभाइस के अनुसार पोस्ट मास्टर के साथ मिलकर 27 लाभुकों के नाम पर 39,501/– रूपये लोकधन का गबन किया गया।"

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक–3771, दिनांक 08.07.2011 द्वारा सुश्री बराल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इनके पत्रांक–464, दिनांक 02.08.2011 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया है कि वे प्रशिक्षु उप समाहर्त्ता के रूप में गोड्डा जिला में दिनांक 11.10.2010 से दिनांक 07.11.2011 तक पदस्थापित थीं। आरोप से संबंधित योजना का कार्यान्वयन तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्री विजयेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 12.09.2010 को प्रारंभ किया गया। योजना से संबंधित मजदूरों द्वारा इस आश्य का शपथ पत्र दिया गया है कि उन्होंने प्रश्नगत योजना में कार्य किया है।

उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–560/स्था0, दिनांक 24.11.2011 द्वारा सुश्री बराल के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उल्लेख है कि उन्हें कार्यानुभव नहीं था तथा इनका पूरी तरह से प्रशिक्षण भी नहीं हुआ था। मस्टर रॉल संधारण करने का नरेगा अन्तर्गत मेट, रोजगार सेवक एवं पंचायत सेवक का दायित्व बनता है। सुश्री बराल का स्पष्टीकरण प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य है। आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक–212/स्था0, दिनांक 31.03.2012 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा के उक्त मंतव्य से सहमति व्यक्त की गई है।

सुश्री बराल के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण, उपायुक्त, गोड्डा के मंतव्य प्रतिवेदन तथा आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, विभागीय पत्रांक–6738, दिनांक 28.05.2012 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से प्रश्नगत योजना के मस्टर रॉल संधारण में हुई अनियमितता के लिए मेट/रोजगार सेवक/पंचायत सेवक की

कृ0पृ0उ0..

लापरवाही की जाँच से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–12482, दिनांक 26.12.2013; अर्द्ध सरकारी पत्रांक–4086, दिनांक 07.05.2014 द्वारा उक्त हेतु स्मारित भी किया गया परन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त रहा।

उल्लेखनीय है कि विषयगत योजना में श्री विजयेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोड्डा के विरूद्ध भी प्रपत्र–'क' में आरोप प्राप्त है, जिसके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गोड्डा द्वारा मंतव्य दिया गया कि उक्त योजना में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी श्री उज्ज्वल कुमार मंडल तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों श्री विजयेन्द्र कुमार तथा श्री सागरी बराल द्वारा लापरवाही बरती गयी है।

उपायुक्त, गोड्डा के इस प्रतिवेदन के आधार पर मामले की समीक्षा की गयी तथा विभागीय संकल्प सं0–268, दिनांक–13.01.2015 द्वारा सुश्री बराल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री झा के पत्रांक–114, दिनांक–10.06.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच–प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। सुश्री बराल के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव–बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच–प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी के स्तर से योजना के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में लापरवाही बरती गयी है।

समीक्षोपरांत, उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु **सुश्री सागरी बराल को 'निन्दन' की सजा दी जाती है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति सुश्री सागरी बराल, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(ओम प्रकाश साह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–670/2014 का0 8768/राँची, दिनांक 06/10 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपि–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय, गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।